"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] रायपुर, सोमवार, दिनांक 11 जनवरी 2016— पौष 21, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2016

क्रमांक 443/डी. 09/21-अ/प्रारू./छ.ग./ 16. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनाँक 31-12-2015 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 1 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) अधिनियम, 2015

वित्तीय वर्ष 2015-2016 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2015 कहलाएगा.

वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए राज्य की संचित निधि में से 22,72,98,70,220 रुपयों का दिया जाना.

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2015 की अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए दो हजार दो सौ बहत्तर करोड़ अंठानवे लाख सत्तर हजार दो सौ बीस रुपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं एवं प्रयोजनों के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2015-2016 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.

विनियोग.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)			(3)	
			रुपये	रुपये	रुपये
.	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	0	100	100
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	6,55,99,100	70,00,000	7,25,99,100
03	पुलिस	राजस्व	29,04,53,530	0	29,04,53,530
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय.	राजस्व	64,08,500	0	64,08,500
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	6,27,60,000	0	6,27,60,000
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	56,36,00,200	0	56,36,00,200

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
08	भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	19,08,89,000	0	19,08,89,000
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	5,84,00,100	0	5,84,00,100
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	0	57,74,50,958	57,74,50,958
		पूंजी	0	0	0
13	कृषि	राजस्व	16,17,90,500	0	16,17,90,500
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	3,45,63,100	0	3,45,63,100
16	मछली पालन	राजस्व	46,45,000	0	46,45,000
17	सहकारिता	राजस्व	100	0	100
		पूंजी	19,00,00,000	0	19,00,00,000
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	6,00,00,400	0	6,00,00,400
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	100	0	100
		पूंजी	200	0	200
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय.	पूंजी	5,63,00,00,200	0	5,63,00,00,200
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	300	0	300
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	2,00,00,000	0	2,00,00,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	2,17,25,000	0	2,17,25,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	4,15,00,000	0	4,15,00,000
32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	4,00,00,000	0	4,00,00,000
33	आदिम जाति कल्याण	राजस्व	94,00,000	0	94,00,000
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	7,05,91,000	0	7,05,91,000
		पूंजी	33,97,77,200	0	33,97,77,200
42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.	पूंजी	200	0	200

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
43	खेल और युवक कल्याण	पूंजी	1,37,76,832	0	1,37,76,832
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	76,00,000	0	76,00,000
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	पूंजी	100	0	100
47	तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग.	राजस्व	1,25,100	0	1,25,100
		पूंजी	100	0	100
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	100	0	100
53	अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व	1,23,22,000	0	1,23,22,000
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय.	राजस्व	50,00,000	0	50,00,000
		पूंजी	8,80,00,000	0	8,80,00,000
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	राजस्व	13,50,00,00,000	0	13,50,00,00,000
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	33,98,76,900	0	33,98,76,900
		पूंजी	200	0	200
66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण.	राजस्व	6,48,00,000	0	6,48,00,000
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	7,44,100	0	7,44,100
		पूंजी	3,43,00,100	0	3,43,00,100
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण.	राजस्व	400	0	400
71	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग.	राजस्व	2,40,50,000	0	2,40,50,000
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	10,22,61,400	0	10,22,61,400
		पूंजी	5,00,00,100	0	5,00,00,100
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	4,00,00,000	0	4,00,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व	4,58,000	0	4,58,000
	योग -	राजस्व	**15,79,95,63,630**	**58,44,51,058**	**16,38,40,14,688**
		पूंजी	**6,34,58,55,532**	**0**	**6,34,58,55,532**
	वृहद योग -		**22,14,54,19,162**	**58,44,51,058**	**22,72,98,70,220**

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2016

क्रमांक 443/डी. 09/21-अ/प्रारू./छ.ग./16. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11-01-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 1 of 2016)

THE CHHATTISGARH APPROPRIATION (No. 4) ACT, 2015

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh for the services of the Financial Year 2015-2016.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title. 1. This Act may be called the Chhattistgarh Appropriation Act, 2015.

Issue of Rs. 22,72,98,70,220 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial year 2015-2016. 2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule, including the sums specified in column (3) of the Schedule of the Chhattisgarh Appropriation Act, 2015, amounting in the aggregate to the sums of Two Thousand Two Hundred Seventy Two Crore Ninety Eight Lakh Seventy Thousand Two Hundred Twenty rupees towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2015-2016 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation. 3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said financial year.

THE SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

No. of Vote (1)	Services and purposes (2)		Sums not exceeding (3) Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
.	Charged Appropriation-Interest Payments and Servicing of Debt.	Revenue	0	100	100
01	General Administration	Revenue	6,55,99,100	70,00,000	7,25,99,100
03	Police	Revenue	29,04,53,530	0	29,04,53,530
04	Other expenditure pertaining to Home Department.	Revenue	64,08,500	0	64,08,500
06	Expenditure pertaining to Finance Department.	Revenue	6,27,60,000	0	6,27,60,000

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	Rs.	Rs.
07	Expenditure pertaining to Commercial Tax Department.	Revenue	56,36,00,000	0	56,36,00,000
08	Land revenue and district administration	Revenue	19,08,89,000	0	19,08,89,000
11	Expenditure pertaining to Commerce and Industry Department.	Revenue	5,84,00,100	0	5,84,00,100
12	Expenditure pertaining to Energy Department.	Revenue	0	57,74,50,958	57,74,50,958
		Capital	0	0	0
13	Agriculture	Revenue	16,17,90,500	0	16,17,90,500
14	Expenditure pertaining to Animal Husbandry Department.	Revenue	3,45,63,100	0	3,45,63,100
16	Expenditure pertaining to Fisheries Department.	Revenue	46,45,000	0	46,45,000
17	Co-operation	Revenue	100	0	100
		Capital	19,00,00,000	0	19,00,00,000
19	Public Health and Family Welfare.	Revenue	6,00,00,400	0	6,00,00,400
20	Public Health Engineering	Revenue	100	0	100
		Capital	200	0	200
21	Expenditure pertaining to Housing and Environment Department.	Capital	5,63,00,00,200	0	5,63,00,00,200
24	Public works-roads and bridges.	Capital	300	0	300
27	School education	Revenue	2,00,00,000	0	2,00,00,000
29	Administration of Justice and Elections.	Revenue	2,17,25,000	0	2,17,25,000
30	Expenditure pertaining to Panchayat and Rural Development Department.	Revenue	4,15,00,000	0	4,15,00,000

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	Rs.	Rs.
32	Expenditure pertaining to Public Relations Department.	Revenue	4,00,00,000	0	4,00,00,000
33	Expenditure pertaining to Tribal Welfare Department.	Revenue	94,00,000	0	94,00,000
41	Tribal Areas Sub-plan	Revenue	7,05,91,000	0	7,05,91,000
		Capital	33,97,77,200	0	33,97,77,200
42	Public Works relating to Tribal Areas Sub-Plan-roads and bridges.	Capital	200	0	200
43	Expenditure pertaining to Sports and Youth Welfare Department.	Capital	1,37,76,832	0	1,37,76,832
44	Expenditure pertaining to Higher Education Department.	Revenue	76,00,000	0	76,00,000
45	Minor Irrigation Works	Capital	100	0	100
47	Man-Power Planning and Technical Education Department.	Revenue	1,25,100	0	1,25,100
		Capital	100	0	100
51	Expenditure pertaining to Religious Trusts and Endowments Department.	Revenue	100	0	100
53	Financial assistance to Urban bodies under Scheduld Caste Sub Plan.	Revenue	1,23,22,000	0	1,23,22,000
55	Expenditure pertaining to Women and Child Welfare.	Revenue	50,00,000	0	50,00,000
		Capital	8,80,00,000	0	8,80,00,000
58	Expenditure on Relief on account of Natural Calamities and Scarcity.	Revenue	13,50,00,00,000	0	13,50,00,00,000
64	Scheduled Caste Sub Plan	Revenue	33,98,76,900	0	33,98,76,900
		Capital	200	0	200

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	Rs.	Rs.
66	Welfare of Backward Classes and Minorities.	Revenue	6,48,00,000	0	6,48,00,000
67	Public Works-Buildings	Revenue	7,44,100	0	7,44,100
		Capital	3,43,00,100	0	3,43,00,100
69	Expenditure pertaining to Urban Administration and Development Department-Urban Walfare.	Revenue	400	0	400
71	Electronics and Information Technology Department.	Revenue	2,40,50,000	0	2,40,50,000
79	Expenditure pertaining to Medical Education Department.	Revenue	10,22,61,400	0	10,22,61,400
		Capital	5,00,00,100	0	5,00,00,100
80	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions.	Revenue	4,00,00,000	0	4,00,00,000
83	Financial assistance to Urban bodies under the tribal area sub-plan.	Revenue	4,58,000	0	4,58,000
	Total -	**Revenue**	**15,79,95,63,630**	**58,44,51,058**	**16,38,40,14,688**
		Capital	**6,34,58,55,532**	**0**	**6,34,58,55,532**
	Grand Total -		**22,14,54,19,162**	**58,44,51,058**	**22,72,98,70,220**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.